न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगबास जिला अलवर

अध्याशितः— श्री ओमप्रकाश सहारण आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
09/19	16.7.19	23.3.22

<u>उनवान</u>

1. कमरूदीन उम्र 58 साल ।
2. अकबर उम्र 45 साल।
3. फजरूदीन उम्र 40 साल।
4. उमरदीन उम्र 38 साल पुत्रान कमलखां जाति मेवान निवासी खानपुर मेवान तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।
5. रमजो पत्नी अकबर उम्र 42 साल।
6. अनीसा पत्नी तारीफ खां उम्र 27 साल ।
7. सलीम खां पुत्र अकबर उम्र 20 साल जाति मेवान निवासी खानपुर मेवान तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—प्रार्थीगण

बनाम

1. बल्लू पुत्र अखेसिंह जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तह0 किशनगढबास जिला अलवर राजस्थान ।
2. श्यामू पुत्र अखेसिंह जाति मेव निवासी खानपुर मेवान तह0 किशनगढबास जिला अलवर राज0।
3. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकर सरकार तहसीलदार किशनगढबास तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

:—अप्रार्थीगण

दावा धारा 111 एवं 128 राज0टी0एक्ट

उपस्थितिः—1. श्री कमरूदीन वकील प्रार्थी की ओर से
2.श्री इमरान खान वकील प्रतिवादी की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से पेश है :–

यह है कि आराजी हाल खसरा नं0 1018 रकबा 2.0600 हे0 अर्थात 8 बीघा 03 बिस्वा वाके न्याणा तहसील किशनगएबास जिला अलवर राज0 में स्थित है । जिसके कि प्रार्थीगण सालिम खातेदार है । प्रार्थीगण 1 ला0 4 का 152/412 हिस्सा, प्रार्थीया सं0 5 का 58/412 हिस्सा, प्रार्थीया सं0 6 का 101/412 हिस्सा तथा प्रार्थीया सं0 7 का 101/412 हिस्सा तन्हां खातेदारी का दर्ज जमाबन्दी है ।

यह है कि आराजी उपरोक्त प्रार्थीगण की तन्हा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजी है । मौका पर काबिज है रिकॉर्डस में अमल हो रहा है। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबन्दी संवत् 2069 संलग्न है ।

यह है कि उक्त आराजी खसरा नं0 1018 के तरफ दक्षिण में डोल में डोल सीमा ग्राम खानपुर मेवान लग रही है अप्रार्थी सं0 1 व 2 की आराजी काश्त सीमा दिशा दक्षिण लगती हुई है। अप्रार्थीगण लडाका वो खुखांर किस्म के लोग है । जो आये दिन सायलान की आराजी की दरमियांनी डोल को बतौर मुठमर्दी मिस्मार करते रहते हैं तथा झगडा फिसाद करते है। प्रार्थीगण ने झगडा फिसाद वो मुकदमें बाजी से बचने के लिए सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र माननीय तहसीलदार किशनगढबास के कार्यालय में पेश किया । जिसक पालना में दिनांक 26/6/19 को पटवारी हल्का न्याणा, पटवारी हल्का खानपुर मेवान व आईएलआर खानपुर मेवान ने मौके पर जाकर सीमाज्ञान कर मौका पर्चा तैयार करते हुए सीमाज्ञान कराकर निशानात लगा दिये । उपरोक्त मौका पर्चा की अनुपालना में प्रार्थीगण मौके पर पत्थरगढी कराना चाहते है । जिससे कि मुकदमें बाजी से बचा जा सके । मौकापर्चा दिनांक 26/6/19 संलग्न है।

अतः प्रार्थना है कि आराजी खसरा सं0 1018 रकबा 2.0600हे0 अर्थात 8 बीघा 3 बिस्वा ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास की पत्थरगढी मुताबिक मौका पर्चा दिनांक 26/06/2019 के अनुसार मौके पर पुलिस जाप्ता प्रदान किया जाकर कराई जावे तथा हर्जा–खर्चा अप्रार्थीगण से दिलाया जावें। अन्य सहायता जो न्यायालय श्रीमान मुनासिब समझें अता फरमायी जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी न0 3 प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए जवाब पेश किया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि आराजी ख0न0 1018 रकबा 2.0600 हे0 अर्थात 8 बीघा 3 बिस्वा ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास की पत्थरगढी मुताबिक पर्चा दिनांक 26.6.2019 के अनुसार की जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात मौका रिपोर्ट/मौका पर्चा दिनांक 26.6.19 के अनुसार आराजी प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

खातेदारी की आराजी है तथा मुताबिक मौका पर्चा एवं पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी करवाई जाना उचित एवं न्यायसगंत समझते है।

अतः आदेश है किः—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 1018 रकबा 2.0600 हे0 अर्थात 8 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम न्याणा तहसील किशनगढबास कि भूमि की पत्थरगढी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एवं पडौसी काश्तकारो की मौजूदगी में अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नही हो तो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार की कब्जा नही सम्भलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील लेख दाखिल दफतर हो।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)